

डिक्री बमुकदमें ईबादाई
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :- 23/2024

रामकुमार पुत्र जगमाल जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़ (राज.)

-वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश
2. साहबराम
3. कृष्णलाल
4. दलीपराम
5. नरेश
6. बलवंत
7. महावीर
8. राजेन्द्र
9. रायसिंह
10. पंजाब नेशनल बैंक शाखा संगरिया तहसील संगरिया
11. भारतीय स्टेट बैंक शाखा संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
12. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया।

पि0 जगमाल जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ़ (राज.)

पि0 ख्याली राम समस्त जाति नाई

निवासी नगराना हाल ढाणी 2 डी.एल.पी. तहसील
संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

-प्रतिवादीगण

वाद पत्र अं. धारा 88,53 आर.टी.ए.

दिनांक :- 14.5.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तई रोबरु हमारे बहाजरी श्री कैलाश सिंवल अभिभाषक वादीगण व श्री हरबन्श सिंह झोरड, श्री अनिल चोयल, श्री भीम पारीक अभिभाषक प्रतिवादीगण मिन जामिन मुदई की उपस्थिति में वाद वादी स्वीकारात्मक जवाबदावा के आधार पर डिक्री किया जाकर वाद वादी मय काउण्टर क्लेम प्रतिवादीगण सं. 3 ता 9 डिक्री किया जाता है। तहसीलदार (राजस्व) संगरिया को आदेशित किया जाता है कि राजस्व तहसील संगरिया के चक नं. 2 डी.एल.पी. खाता सं. 142/2 जं.सं. 2071-74 प्रतिवादी सं. 1 ओमप्रकाश के नाम दर्ज 0.266 है. तथा प्रतिवादी सं. 2 साहबराम के नाम दर्ज 0.265 है. कृषि भूमि का वादी रामकुमार को खातेदार काशतकार घोषित किया जाकर इस खाता से प्रतिवादी सं. 1 व 2 का नाम उक्त खातो से कलमजन किया जाता है। अतः वाद वादी मय काउण्टर क्लेम प्रतिवादीगण सं. 3 ता 9 निम्नानुसार डिक्री किया जाकर रकमराज अलग से निर्धारित की जाती है :-

वादी रामकुमार के कब्जा काशत एवं हक-हिस्सा की कृषि भूमि :-

चक नं. 2 डी.एल.पी. खाता सं. 142/2 जं.सं. 2071-74

| प.नं. | मु.नं. | कि.नं. |
|---------|--------|----------------------------------|
| 168/191 | 34 | 1/1/0.215, 1/2/0.013, 1/3/0.025, |

महायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

2/1/0.228, 2/2/0.025, 3/1/0.228,
 3/2/0.025, 4/1/0.228, 4/2/0.025,
 7,8,9/0.253 है.प्र., 10/1/0.252,
 10/2/0.001, 11,12,13/0.253 है.प्र.
 कुल 2.783 है. नहरी कृषि भूमि मय गै.मु.।

प्रतिवादी सं. 3 ता 9 क्रमशः कृष्णलाल, दलीपराम, नरेश, बलवन्त, महावीर, राजेन्द्र,
 रायसिंह पि० ख्यालीराम के हक हिस्सा व कब्जा काश्त की ब.हि.ब. कृषि भूमि :-
 चक नं. 2 डी.एल.पी. खाता सं. 142/2 जं.सं. 2071-74

| प.नं. | मु.नं. | कि.नं. |
|---------|--------|---|
| 167/190 | 23 | 6,7,15,16,25/0.253 है.प्रत्येक |
| 167/191 | 35 | 5/1/0.228, 5/2/0.025 है.गै.मु.रास्ता |
| 168/190 | 24 | 9 ता 12/0.253 है.प्र.18 ता 23/0.253 है.प्र. कुल 4.048 है. कृषि भूमि मय गै.मु.। |

अनुसार खाता विभाजन किया जाकर रकमराज अलग से कायम की जाकर
 राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। आराजी बैंक के पक्ष में रहन होने की स्थिति में
 बैंक रहन से मुक्त होने पर ही राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा
 प्रदाकारान अपना-अपना वहन करेगे।

निज......निल......मुब्लिक......निल......बाबत......निल......खर्चा मुकदमें
 के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक को
 अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 14.5.2021 को जारी
 किया गया।

(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकायी संगरिया
 संगरिया

